सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र, 1937 (श०)

संख्या 186 राँची, गुरुवार

26 मार्च, 2015 (ई०)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

संकल्प

26 मार्च, 2015

विषय- अनुसूचित जनजातियों के जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि अवैध हस्तांतरण के उच्च स्तरीय जाँच हेतु विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) का गठन किये जाने के संबंध में ।

संख्या-7/**एसआईटी का गठन-**472/15 /**रा.**-1226/रा॰ -- भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत् झारखण्ड की आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, **1908** एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, **1949** नौवीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है। सी**0**एन**0**टी**0** एक्ट एवं एस**0**पी**0**टी**0** एक्ट के तहत् आदिवासी भूमि की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रावधान किये गये हैं। सी**0**एन**0**टी**0** एक्ट की धारा-**71'A'** के द्वारा अवैध हस्तांतरित भूमि वास्तविक मूल रैयत को वापसी का प्रावधान है। उक्त प्रावधान होने के वावजूद आदिवासी भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण होने की शिकायतें हैं। कई ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जिसमें सरकारी भूमि (गैर

मजरूआ आम/खास आदि) को पंजी II वगैरह में हेरा-फेरी कर रैयती दर्ज करते हुए अवैध रूप से जमाबंदी कायम कर दी जाती है ।

2. अनुसूचित जनजातियों की भूमि एवं सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण संबंधी विषय की गंभीरता को देखते हुए अवैध हस्तांतरण के उच्च स्तरीय जाँच हेतु विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** का गठन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

3. अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **24** मार्च, **2015** के मद संख्या-**05** में लिए गए निर्णय के आलोक में अनुसूचित जनजातियों के जमीन के अवैध हस्तांतरण की उच्च स्तरीय जाँच हेतु विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** के गठन की स्वीकृति दी गयी ।

4. विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** का गठन का स्वरूप निम्नवत् है-

A मुख्य सचिव स्तर के भा**0**प्र**0**से**0** के सेवानिवृत्त पदाधिकारी - अध्यक्ष

B सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष स्तर के पदाधिकारी - सदस्य

C सेवारत/सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी जिन्हें भूमि व राजस्व संबंधी मामलों में समुचित ज्ञान व अनुभव हो । - सदस्य सचिव

D. **(Special Investigation Team)** का कार्य एवं दायित्व:-

i. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की परिधि में आनेवाले जमीन के अवैध हस्तांतरण की जाँच करना ।

ii. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, **1908** की धारा-**71'A'** के अंतर्गत **Scheduled Area Regulation, 1969** के अधीन विशेष विनियमन पदाधिकारियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के जमीन के तथ्यों को छुपाते हुए नियम विरुद्ध हेरा-फेरी कर भ्रष्टाचार से आच्छादित मामलों की जाँच करना ।

iii. सरकारी जमीन की हेरा-फेरी कर अवैध रूप से किये गये हस्तांतरण की जाँच करना ।

iv. उपरोक्त वर्णित मामलों में **Special Investigation Team (SIT)** द्वारा स्वतः **(Suo moto)** संज्ञान लेकर जांच करना तथा प्रभावित व्यक्ति/परिवार के अभ्यावेदन पर या आदिवासी मामलों से संबंधित संस्थाओं के तथ्यात्मक परिवाद पर, राज्य सरकार या उनके प्रशासी अंग के अनुरोध पर मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करना ।

v. जाँचोपरान्त ऐसे मामलों में आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक कार्यवाही हेतु उपाय/सुझाव देना तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने हेतु भी स्पष्ट व प्रभावकारी उपाय बताना/सुझाव देना ।

vi. **Special Investigation Team (SIT)** का कार्यकाल **01** (एक) वर्ष की अवधि का होगा ।

vii. **Special Investigation Team (SIT)** अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर राज्य सरकार को समर्पित करेगी तथा प्रत्येक दो माह के अंतराल में अंतरिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगी ।

viii. विशेष जाँच दल (**Special Investigation Team)** के अध्यक्ष व सदस्य को अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि मानदेय के रूप में भुगतान होगा ।

ix. विशेष जाँच दल **Special Investigation Team (SIT)** को **Secretariat Support** एवं अन्य सुविधाएँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रदान की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 186--50 ।